न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 09 सन 2019

अनवान :-

1. चानणराम पुत्र हरीराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़। प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़। अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक :– 19/6/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा जोगीआसन न0 1 के खाता संख्या 4/3 के खसरा न0 26 की 13.02 बीघा एव 3.01 बीघा भूमि जिसके प्रार्थी के दादा बस्ती वल्द गंगाराम खातेदार काश्तकार थे। रोही मौजा जोगीआसन न0 1 के साबिका खसरा न0 26 मीन की 3.05 बीघा हाल खसरा न0 48 की 3.05 बीघा में परिर्वतन एवं पैमुद हुए है।भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा हाल खसरा न0 48 की 3.05 बीघा वर्तमान में 0.7710हैक्ट भूमि में परिर्वतन कर वादी के दादा की वल्दीयत बस्ती वल्द गंगाराम के स्थान पर बस्ती वल्द मघा दर्ज कर दी जो कि कतई गलत है जिसे वादी दुरूस्त करवाकर बस्ती वल्द गंगाराम दर्ज करवाने का अधिकारी है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी की ओर से तहसीलदार नोहर पेरोकार राज उपस्थित आकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बध में जवाब पेश किया की रोही मोजा जोगीआसन न0 1 के अनुसार खसरा न0 48 की 0.771हैक्ट भूमि बस्ती वल्द मघा जाति रेगर वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज रिकार्ड है खसरा गिरदावरी सम्वत 2012 मे काश्त बस्ती वल्द गंगा दर्ज है व सम्वत 2014 की गिरदावरी में बस्ती वल्द मघा दर्ज है प्रार्थी के दादा का नाम बस्ती वल्द मघा के बजाय बस्ती वल्द गंगा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट आने पर शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों को सुना गया

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट से सन्तुष्ट है व उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाना चाहता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जोगीआसन न0 1 के खसरा न0 26 की 3.01 बीघा भूमि प्रार्थी के दादा बस्ती पुत्र गंगाराम के नाम से दर्ज थी जो जमाबन्दी सम्वत 2012 से साबित है इसी प्रकार सम्वत 2014 की गिरदावरी में भी बस्ती वल्द गंगाराम दर्ज है भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा साबिका खसरा न0 26 के हाल खसरा न0 48 मे परिर्वतन कर बस्ती वल्द गंगा के स्थान पर बस्ती वल्द मघा दर्ज किया गया है प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात मृत्यू प्रमाण पत्र 08.07.1981 एवं मतदाता सूची विधानसभा नोहर वर्ष 1980 में प्रार्थी के दादा का नाम गंगाराम दर्ज है अर्थात भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा साबिका खसरा से हाल खसरा में परिर्वतन के दौरान सहवन से प्रार्थी के पिता का नाम गंगा के स्थान पर मघा दर्ज हुआ है जिसे संशोधन किया जा सकता है प्रार्थी के दादा का नाम संशोधन के सम्बध में तहसीलदार नोहर के द्वारा भी सहमति/अभिशषां की गई है।

अतः तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट/प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कि रोही मौजा जोगी आसन न0 1 के खाता संख्या 24/30 के खसरा न0 48 की 0.7710हैक्ट में प्रार्थी के दादा का नाम बस्ती वल्द मघा के स्थान पर बस्ती वल्द गंगा संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 19/6/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2019 / 1364RA/9 दिनांक :– 19.6.19

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 9 / 2018 अनवानी चानणराम बनाम सरकार में दिनांक 19.06.2019 को पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. चानणराम पुत्र हरीराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 09 / 2018 अनवानी चानणराम बनाम सरकार में दिनांक 19.06.2019 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा जोगी आसन न0 1 के खाता संख्या 24 / 30 के खसरा न0 48 की 0.7710हैक्ट में प्रार्थी के दादा का नाम बस्ती वल्द मधा के स्थान पर बस्ती वल्द गंगा संशोधन किया गया है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

Scanned with CamScanner